

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०2/02-04/2014 36 पटना, दिनांक-16-03-2016

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर, कैमूर (भभुआ), जहानाबाद,
जमुई, सीवान, गोपालगंज एवं मुजफ्फरपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए अतिरिक्त आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि रू० 2,14,205/- (दो लाख चौदह हजार दो सौ पाँच) रूपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-3429 दिनांक 01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक 05.03.2015 को स्वीकृति प्रदान की है। तत्पश्चात विधि विभाग ने विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 2015 को अधिसूचना संख्या-एम-4-37/2011-3429/वि०(2) दिनांक 01.04.2015 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

- कंडिका-1 के आलोक में 01 अप्रैल 2015 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित राशि से योजना मद में आवंटित किया जा सकता है।
- कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष- केन्द्रीय योजनागत योजना, उप शीर्ष- 0408-क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-S/3454022040408 है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 7 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
- राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।



7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंन्, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
9. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं 3429 दिनांक 01.04.2015 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

16/2/16

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष-केन्द्रीय योजनागत योजना, उप शीर्ष-0408-क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त की गई राशि आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-S/3454022040408 है।

क्रमांक	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	06-01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा भत्ता	13-01 कार्यालय व्यय	कुल योग
1	जिला सांख्यिकी कार्यालय	3	4	5	6	7	8	9				
1	बक्सर	29002	29530	1799	-	200	-	60531		-	-	60531
2	कैमूर (भशुआ)	29920	33948	-	-	600	-	64468	400	10000	-	74868
3	जहानाबाद	-	3000	-	-	-	-	3000		-	-	3000
4	जमुई	-	18377	68	-	-	-	18445		-	-	18445
5	सीवान	20480	1933	2048	-	-	-	24461		-	-	24461
6	गोपालगंज	10000	11900	1000	-	-	-	22900		-	-	22900
7	मुजफ्फरपुर	-	-	-	-	-	-	-		-	10000	10000
	कुल योग	89402	98688	4915	0	800	0	193805	400	10000	10000	214205

(दो लाख चौरह हजार दो सौ पाँच) रुपये मात्र।

निदेशक
16/12/16

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

18/2/16